फाइल नं0-71-3099/127/2024-03

165/2026/I/1488955/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के इमरजेन्सी विभाग के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0/निर्माण/2026-27/256(ए), दिनॉक 25.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-97/2026/I/1282362/2026-71-3099/127/2024-03, दिनॉक 28.03.2026 द्वारा राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के इमरजेन्सी विभाग के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 238.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 128.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनॉक 28.03.2026 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 128.23 लाख का आहरण नहीं हो सका। प्रधानाचार्य द्वारा उक्त धनराशि रू0 128.23 लाख का अनाहरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है, जो वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के इमरजेन्सी विभाग के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-03-105-11-03-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 128.23 लाख (एक करोड़ अट्ठाइस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि वित्त की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या-97/2026/।/1282362/2026-71-3099/127/2024-03, दिनॉक 28.03.2026 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,28,23,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051103 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।